राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 669वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
- डॉ. रिव बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
- श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No 9393/2022 Shri Kishore Kumar, Owner, Resi.- Ward no.-12, Infront of Post Office, Tehsil- Raisen, District- Raisen (M.P.). Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (4001 Cum per annum) (Khasra No. 254/1, Village - Murelkalan, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक के परिवेश पोर्टल अपलोड पत्र दिनांक 10/07/23 अनुसार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. को नियुक्त किया गया है । प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री किशोर कुमार एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Kishore Kumar, Owner, Resi Ward no12, Infront of Post
परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Office, Tehsil- Raisen, District- Raisen (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	254/1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)
स्थल	Village - Murelkalan, Tehsil & district - Raisen (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 604 दिनांक
	14 / 06 / 22 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी–1 Stone Quarry
टॉर	समिति की पूर्व की 605वीं बैठक दिनांक 10 / 11 / 22 में उत्पादन क्षमता
	फ्लैग स्टोन-4001 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
ब्रेकर	

नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन—6401.6 टीपीए हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैग स्टोन—4001 घनमीटर/वर्ष
	है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	कमांक 628 दिनांक 15 / 06 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.00 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 628 दिनांक 15/06/22 अनुसार वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन
	मण्डल रायसेन के पत्र कमांक 1461 दिनांक 06/08/21 अनुसार उक्त
	आवेदित स्थल का संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन दल द्वारा निर्धारित की गई
	प्रश्नाधीन खदान की वन सीमा से न्यूनतम् 15 मीटर की दूरी पर स्थित है,
	संभागीय आयुक्त समिति से अनुमित प्राप्त है । शेष अन्य 10 किलोमीटर की
	परिधि में नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 628 दिनांक 15 / 06 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मुरेर कलां जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—12 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	08/3/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
गगल दमेल अनुसार	दक्षिण दिशा— आबादी—295 मी. एंव दक्षिण—पूर्वी दिशा में एक कच्चा रोड—45
वर्तमान स्थिति	मी. पर निकल रहा है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह
addin 1 daid	एक हॉलेज रोड है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगार, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने
जन पुनवाइ	संबंधी इत्यादि आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना
	/ सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन ने पत्र क्रमांक 1093 दिनांक
की स्थिति	21/09/22 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को जिला
4/1 I\MI\(I	२१७ ७७ / २२ के द्वारा सूचित किया है कि उपत उत्खानपट्टा का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर दिया जावेगा ।
	संपद्धार्थ रिपाट में अधरान कर दिया जावना । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण ।
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22
	(प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में
	लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता

$\overline{}$	7				7	$\overline{}$	P	$\overline{}$	· · · · ·	7
ch	टाष्ट्रगत	પરાક્ષળ	ф٧	पर्यावरणीय	स्वाकात	ਨਰ	ાસયા	фl	अनशासत	किया
•	5, 0, 1,	1 (151 1	1		٠٠١ څا ١١٠	્યુ			3,000	1 1 11
										
जा	યા									

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिमित ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन—4001 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.79 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
मुरेलकलां शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप प्रिंटर के साथ की व्यवस्था	75,000
ग्राम मुरेलकलां के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
कुल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कतेरी, बबूल, सिस्स् एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100

3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत मुरेलकलां	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
	ग्राम पंचायत मुरेलकलां के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्स् एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
गारत	नेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड	पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण वि	र्मया जायेगा।
कुल			1000

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No. 9780/2023 Shri Mayur Dubey, M/s. Agro Phos (India) Limited (APIL), M-87, Trade Centre, 18 South Tukoganj, District-Indore (M.P.)-455001 Prior Environment Clearance for proposed Expansion of Fertilizer Plant, Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.) - 455001 [Single Super Phosphate (Powder/Granules): 75,000 MTPA (Existing: 45, 000 MTPA + Proposed: 30,000 MTPA)] Cat. – 5(a) Chemical Fertilizers.

This is a case of Prior Environment Clearance for proposed expansion of Fertilizer Plant, Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.), Cat. -5(a) Chemical fertilizers Projects.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 634th SEAC dated 07/04/2023 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA on Parivesh portal and the same was forwarded by SEIAA hence, whicj was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Maulik Suthar Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur, (Rajasthan) and PP Shri Mayur Dubey from M/s Agro Phos (India) Limited (APIL), in the 669th SEAC dated 10/08/2023 wherein following submission made:

- Agro Phos (India) Limited (APIL) is an ISO 9001:2008 certified Company engaged in the manufacturing of fertilisers such as SSP, NPK, Zinc Sulphate, Organic manure and Calcium Sulphate commonly known as soil conditioner or gypsum.
- APIL has an existing fertilizer manufacturing plant located at Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, Dewas, M.P.

- The unit is involved in manufacturing of NPK/Mixed Fertilizer, Single Super Phosphate (Powder/Granules), Zinc Sulphate/Other Sulphate & Organic Fertilizer N-Rich.
- Plant has valid consent to operate granted by MPPCB vide <u>Consent no. AW-55923 valid up to 31.01.2025.</u>
- Foreseeing the market demand for SSP/GSSP fertilizers, the company has proposed expanding the production capacity of SSP/GSSP (Powder) within the existing premises.
- The total production capacity of the plant after expansion for Single Super Phosphate (Powder/Granules) will be 75,000 MTPA.
- The existing unit was established before purview of EIA Notification, 2006, therefore earlier Environmental Clearance was not applicable.
- As per the EIA Notification 2006 and subsequent amendments, the proposed expansion project falls under Activity 5(a) i.e., Chemical Fertilizers and requires prior environmental clearance under Category 'B'. The project site being in a notified industrial area; thus, the project is exempted from Public Hearing as per Clause 7 (i) (III) of EIA notification 2006 & OM J-11011/321/2016-IA. II(I) dated 27.04.2018.
- Terms of Reference were granted to the project by SEIAA, Madhya Pradesh vide Letter No. 424/SEIAA/2023 dated 18.05.2023.

PRODUCTION CAPACITY OF PROJECT

	CAS No.	Production Capacity (MTPA)		
Name of Product		Existing	Proposed	Total after Expansion
Under EIA Notificati	ion, 2006	•	•	•
Single Super Phosphate (Powder/Granules)	8011-76-5	45,000	30,000	75,000
Not covered under E	IA Notification	n, 2006	•	
NPK (Mixture Fertilizer)	-	15,000	0	15,000
Zinc Sulphate/Other Sulphate	7446-20-0	3,000	0	3,000
Organic Fertilizer N- Rich	-	10,000	0	10,000

During presentation the PP stated Carbon foot print analysis for existing production as emission management through scrubber along with the mass balance in reference to the management and disposal of silica and plantation scheme.

After deliberations and presentation, submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of <u>Prior Environment</u> Clearance for proposed Expansion of Fertilizer Plant, Plot No. 13A/2, Industrial Area

No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.) - 455001 [Single Super Phosphate (Powder/Granules): 75,000 MTPA (Existing: 45, 000 MTPA + Proposed: 30,000 MTPA)] Cat. - 5(a) Chemical Fertilizers. Category 5 (a), subject to the following special conditions:

- 1. All tailing collection ponds shall have HDPE lining with appropriate peizometerc holes & leachate collection arrangements. All the components of this system should be well within approach for smooth monitoring.
- 2. Alkali scrubbing shall be carried out for scrubbing the fluorine.
- 3. Continuous Emission Monitoring System shall be installed with inter-locking system such that in case of any failure when emissions are beyond the thresh-hold limits the complete operation of the plant trips down automatically.
- 4. 'Zero liquid discharge' condition shall be maintained and no process effluent will be discharged outside the plant premises.
- 5. Cyclone and Dust Collection Filter Bag assembly shall be installed to arrest the fine dust particles from the air before venting to atmosphere through Stack of suitable height as per stipulated norms. The air emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
- 6. The air shall be vented to atmosphere through Stack of suitable height as per stipulated/ prescribed norms.
- 7. The emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
- 8. The hot air from dryer drum and atmospheric air from Cooler drum shall be sucked and passed through Multi Clones and Cyclones to arrest the fine dust particles before venting to atmosphere through Stack of suitable height (minimum 30 meters) as per stipulated norms. The air emissions shall be well within the permissible limits as per MPPCB Norms.
- 9. At mixer and Den, during acidulation gases will be liberated. These gases from mixer and Den will be passed through absorption stages i.e. Ejector, Cyclone separator, Ventury Scrubber, Multi Stage Scrubbing Towers.
- 10. Biomass/Coal shall be used as fuel in the HAG. The unit shall be provided with two stage cyclone separator followed by 3 stages ventury to achieve the desired norms and scrubbed liquid will be used in the process. In the SSP plant, dust collector and cyclone shall be provided for removal of particulate matter from grinding of rock phosphate. Dust separated from the cyclone separator and as well as from the dust collector shall be reused in process.
- 11. Hydrogen Fluoride gas generated from the process of SSP shall be conveyed in rubber ducts to the scrubbers. A setting chamber along with two stage water spray scrubbers and three stage ventury scrubbers shall be provided to obtain the desired level of Hydrogen Fluoride.

- 12. The traces of Fluro Silicic coming from ventury scrubber shall be scrubbed with caustic lye solution in Alkali scrubber and this scrubber liquor shall be re-circulated within the scrubber upto P.H 7 and utilized in the manufacturing process.
- 13. Ash collection system shall be provided to control PM emission. Furnace Ash shall be used as filler in SSP plant.
- 14. The rock phosphate shall be transported under cover truck only.
- 15. The SSP process happens under shed and powder SSP shall be moist conditions. As such all products remains confine to shed area only. All precaution and provision are made for arresting the dust particle during crushing of rock and handling of SSP shall include covered conveyer system with dust collection system at transfer points and Water spraying shall be done for dust suppression in dust generating areas/roads. Provisions for dust extraction systems at dust generating source shall be provided.
- 16. Online emission monitors shall be provided for all stacks.
- 17. All the unpaved roads as well as paved roads, which are exposed to high dust concentrations within plant, will be sprinkled with water and road sweping machines shall be deployed.
- 18. Storage area shall be clearly earmarked and enclosure shall be provided for all the loading & unloading operations. Conveyors shall be provided with conveyor cover.
- 19. Plantation of 12712 additional trees will be done at the periphery and in our adjacent occupied land in approx. 3178 sqm area area, as per following plantation scheme:-

Green Belt Development with Budget

Total area available for Greenbelt	3178 sqm area					
No of trees to be planted	Total 12712 nos. of tree (4 trees/sqm area)					
	Cost per plant	Total cost for 1 st Year Plantation	2 nd Year recurring cost (assuming 90% survival of plant)	3 rd & 4rth Year cost		
Soil preparation cost (as per Miyawaki Technique)	Rs. 75/sqm area	953400	0	0		
Purchase cost of the per sapling	Rs.25/sapling	317800	63550	0		
Tree planting cost	Rs.30/Sapling	381360	381360	0		
Watering cost (per year)	Rs.70/sqm area	222460	222460	222460		
Manure/pesticides (per year)	Rs. 35/sqm area	111230	111230	111230		
Plant Monitoring cost (per year)		100000	100000	100000		

Total expenses (per year)	-	2086250	878600	433690
Total Budget for initial 4 year = (20.86+8.76+4.33+4.33)= 38.32 Lacs				

- 20. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 51.0 Lakhs as capital and Rs. 11.80 Lakhs as recurring cost for this project.
- 21. For this project PP has proposed Rs 05.0 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) as per following proposed activities:

Sr. No	Particulars	Total cost (lakh)
1	Farmers training in nearby tribal area i.e. Udai Nagar (Awareness for Agriculture Practices).	03
2	Distribution of seeds (vegetable and Fruit bearing crops & trees) to nearby local areas.improved certified	02
Total		05 .00

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 9184/2022 Shri Rishabh Kumar Jain, Partner, M/s Hukamchand Stone Lime Company, Near Bangla Mandir, Sawarkar Ward, Katni (MP), Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 4.046 ha. (Limestone - 23760 Tonne per annum, OB - 15840 Tonne per annum) (Khasra No. 96, 18/2), Village - Bhatoora, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ऋषभ कुमार जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना / कम्पनी	Shri Rishabh Kumar Jain, Partner, M/s HU COMPANY, Near Bangla Mandir, Sawarkar W	
का नाम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	96, 18 / 2 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.046 Ha.

स्थल	Village – Bhatoora, Tahsil -Maihar, Dist- Satna (MP)
लीज स्वीकृति	पूरक अनुबंध दिनांक 01 / 11 / 23 (अवधि 27 / 10 / 2002 से 26 / 11 / 2042)
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–1 Limestone Mine
टॉर	समिति की पूर्व की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में उत्पादन क्षमता
	लाईम स्टोन—23,760 टीपीए एवं ओव्हर वर्डन—15,840 टीपीए के लिए टॉर की
	अनुशंसा की गई थी ।
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
ब्रेकर	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन—23,760 टीपीए एवं ओव्हर
	वर्डन—15,840 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना
	अनुसार लाईम स्टोन—23,760 टीपीए एवं ओव्हर वर्डन—15,840 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि	,
में अन्य खदानें	878 दिनांक 21/04/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 59.506 हे. होता है, अतः प्रकरण
	बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सतना के पत्र कमांक 5106 दिनांक
की अनापत्ति	23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं आवेदित स्थल
	वन परिक्षेत्र मैहर के वन कक्ष क्रमांक पी—530 की वन सीमा से 0 मीटर की
	दूरी पर स्थित है, साथ ही आवेदित स्थल का अंश रकबा 0.10 हे. वन सीमा
	लाइन के अंदर का है, अर्थात 250 मीटर के अंदर का क्षेत्र है । संभागीय
	समिति की बैठक दिनांक 16 / 01 / 17 अनुसार वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुए वन क्षेत्र की ओर चैनलिंग फैंसिंग एवं बांस के वृक्षों की फेंसिंग
	की शर्त की अधिरोपित करते हुए सहमति का निर्णय लिया गया ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	878 दिनांक 21/04/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
G'HAKKI	शैक्षणिक संस्थान / नाला नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
पंचायत की अनापत्ति	16/03/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	
रिथति	कि कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा।
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड है। दक्षिण–पूर्वी
	दिशा–आबादी – 272 मी. है।
<u> </u>	

जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगार, जल छिड़काव, वृक्षारोपण, गाड़ियों
	को तिरपाल लगाकर परिवहन किया जाये एंव ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर
	की जायें इत्यादि आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन
	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	प्रकरण मुख्य खनिज का होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।
की स्थिति	

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया संभागीय समिति की बैठक दिनांक 16/01/17 अनुसार वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुए वन क्षेत्र की ओर चैनलिंग फैंसिंग एवं बांस के वृक्षों की फेंसिंग की शर्त की अधिरोपित करते हुए सहमित का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन—23,760 टीपीए एवं ओव्हर वर्डन—15,840 टीपीए।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.41 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 12.55 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

SN	Plan	
	Public hearing issue	Budget in Lacs
1.	Construction of boundary wall at school of Bhatoora (100m length and 3m height)	2.00
2	Maintenance of road (800m@2lakh per km)	1.60
3	Infrastructure facility to Anganwadi of Village Bhatoora	0.50
4	Deeping of Pond	0.50
5.	Plantation of 1500 trees at foot of hillock of Sharda Devi temple at Maihar with species of Bel, Putranjeeva, Anwla, Karanj, Kusum, Achhar, Mahua by 15 th September 2023	1.50

Total	6.10)	
Project Proponent has provided fund of Rs 3,81,000 to Village Pand base developmental works.	chayat Bh	atoora for r	need
Project Proponent has also provided Rs 5.00lakh to Villag construction/repairing of kaccha roof	gers of	Bhatoora	for

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1 st year	In barrier zone (858m*7.5m= 0.6435ha (towards forest) and non-mining area	Katang bans, Karanj, Khamer, Neem, Sissoo, Chirol and other local species Seed sowing of Katang Bans over bunds of settling tank and over bunds of catch drain	1000
2 nd year	Non mining area	Karanj, Khamer, Neem, Sissoo, Chirol, Kala and Safed Siris and other local species	1300
CP period	Dump area and backfilled area	Karanj, Khamer, Neem, Sissoo, Chirol and other local species	1000
1 st year to 2 nd year	Along the transport route (800m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	300
1 st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000
Total			5600

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 10097/2023 Shri Amar Singh Mingwal, General Manager, M/s R G Buildwell Engineers Limited, R/o B-30, R.D.C. Rajnagar, District-Ghaziabad (UP)-201017, Prior Environment Clearance for Temporary permit of Ruhana Stone Mine for making Gitti Through Crusher for making Road in an area of 2.00 ha. (1,25,000 cum per year) (Khasra No. 1/1/1), Village-Ruhana, Tehsil-Mungaoli, District- Ashok Nagar (MP). (Temporary Permit).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह मिनगवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Shri Amar Singh Mingwal, General Manager, M/s R G Buildwell Engineers Limited, R/o B-30, R.D.C. Rajnagar, District-Ghaziabad (UP)-201017, Prior Environment Clearance for Temporary permit of Ruhana Stone Mine for making Gitti Through Crusher for making Road in an area of 2.00 ha. (1,25,000 cum per year) (Khasra No. 1/1/1), Village-Ruhana, Tehsil-Mungaoli, District- Ashok Nagar (MP) [434446] Temporary permit.
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा न0. — 1/1/1, 2.00 हेक्टेयर, ग्राम — रूहाना, तह.— शासकीय भूमि मुंगावली, जिला—अशोकनगर (म.प्र.).
परियोजना की श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी—2, Stone Mine
खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग की जावेगी। (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)। माइन प्लान अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है।
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नया
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 1,25,000मी ³ / वर्ष हेतु (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन — 1,25,000 मी ³ / वर्ष हेतु स्वीकृत है।
अन्य खदानों का विवरण	पत्र क0. 406 दिनांक 11/04/2023. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 449 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनका कुल रकबा 1.74 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल अशोकनगर के पत्र 449 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

परियोजना के संबंध	
राजस्व जानकारी	08/05/2023 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय / नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत बम्मनखिरिया, जिला अशोकनगर के टहराव प्रस्ताव कमांक
पंचायत की अनुमति	03 दिनांक 25/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से
	पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	खदान के अंदर 01 पेड है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया
की वर्तमान स्थिति	कि पेड़ काटा नही जावेगा।
प्रस्तावित खदान की	खदान के अंदर से एक हॉलेज रोड निकल रही है।
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर—पूर्व दिशा— पक्का रोड़—290 मी., उत्तर—पश्चिम मे एच.टी. लाईन
स्थिति (यदि सेटबैक	– 50 मी. की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा
आवश्यक हो)	अवगत कराया गया कि जिस संबंध में 50 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है।
	दक्षिण–पश्चिम दिशा–शेड़ – 19 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत
	कराया गया कि प्रस्तुत गूगल इमेज वर्ष 2022 की है । वर्तमान में ऐसा
	कोई स्ट्रक्चर मौजूद नही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र
की स्थिति	क्रमांक 559 दिनांक 22 / 06 / 2023 द्वारा उल्लेखित है कि इस अस्थायी
	अनुज्ञा को भविष्य में बनने वाली जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समाहित कर
	लिया जावेगा।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दि०.
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 —जारी पत्र कृ0. 1306 दि0.
	04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति
	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान को पूर्व मे अस्थायी अनुज्ञा जारी प्राप्त की गई थी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 1,25,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.37 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रुहाना शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ)व्यवस्था	40,000
ग्राम रुहाना के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000
कुल	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

			-	
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300	
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100	
	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींब्, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800	
	ग्राम पंचायत बम्मनखिरिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	
गारत	गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			2000	

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No 10093/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mustara Sand Quarry in an area of 4.74 ha. (14,100 cum per year) (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District- Datia (M.P.).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	ווייים וויים אינים וויים ו		
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining		
परियोजना /	Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera		
कम्पनी / संस्थान	Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mustara		
का नाम व पता	Sand Quarry in an area of 4.74 ha. (14,100 cum per year) (Khasra No. 503,		
	596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District- Datia (M.P.). [430748]		
परियोजना का खसरा	503, 596, ग्राम — मुस्तरा, तहसील — 4.74 हेक्टेयर शासकीय		
नं. / लीज क्षेत्रफल	भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),		
परियोजना की	बी—2 श्रेणी, Sand Quarry		
श्रेणी(बी-1 / बी-2)			
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के		
का नाम	कारण 1.92 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.82 हे. क्षेत्रफल में खनन्		
	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 14,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 14,100 घनमीटर/वर्ष		
	हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत /2023-24/नस्ति क0. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
/LOI details.			
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
मीटर की परिधि में			
संचालित /स्वीकृत	, ,		
अन्य खदानों का			
विवरण			
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		

में डीएफओ की	09 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
एनओसी	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन
	क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
राजस्व जानकारी	09 दिनांक 02 / 01 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	ग्रामीण पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मुस्तरा जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक
पंचायत की अनुमति	14/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक —
	18 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 14,100 घनमीटर
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,100 घनमीटर / वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** 14,100 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.67 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर मद से 1,10,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मुस्तरा के भाासकीय प्राथमिक भााला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5688 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	140

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां ।	134
2	ग्राम— मुस्तरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	4266
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)।	948

- वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत
 स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10094/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Astot Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (28,800 cum per year) (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला – दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Astot Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (28,800 cum per year) (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District- Datia (MP) [430923]

परियोजना का खसरा	587, 646, 654, ग्राम — अस्टौट, 4.80 हेक्टेयर शासकीय
नं. / लीज क्षेत्रफल	तहसील – भाण्डेर, जिला – दितया (म.
1.7 (110) 41717(1	प्र.),
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के
का नाम	कारण 1.92 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.88 हे. क्षेत्रफल में खनन्
प्रा गाम	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿ	·
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 28,800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 28,800 घनमीटर/वर्ष
4 :0	हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत /2023—24/नस्ति क0. 315/198 दिनांक 07/06/2023.
/LOI details.	
परियोजना के 500	,
मीटर की परिधि में	·
संचालित /स्वीकृत	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अन्य खदानों का	हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र
में डीएफओ की	क्रमांक 08 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
एनओसी	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
राजस्व जानकारी	क्रमांक 08 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनुमति	22/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत
	को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	•
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 14 के सरल क्रमांक –
	17 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 28,800 घनमीटर
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 28,800
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** — 28,800 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.76 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम अस्टोट के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। एंव 1,06,000 शासकीय प्राथमिक शाला के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी	2,16,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5760 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	तट से 1 से 6 पक्तियों	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
	में)	4—5 पंक्ति — कटंग बांस	140
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
2	ग्राम— अस्टोट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4320
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	960
\vdash			

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	5760
-----	------

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 10095/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-1 Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Ajeetpura-1, Tehsil-Bhander, District- Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining
परियोजना / कम्पनी	Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road,
/ संस्थान का नाम व पता	Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-1 Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (18,000 cum per year)
	(Khasra No. 01), Village-Ajeetpura-1, Tehsil-Bhander, District-
	Datia (MP) [430763]
परियोजना का खसरा नं.	01, ग्राम — अजीतपुरा—1, तहसील — 3.00 हेक्टेयर शासकीय
/लीज क्षेत्रफल (सरकारी)	भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी का	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा
नाम	होने के कारण 1.2 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.8 हे. क्षेत्रफल में
	खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
डिया ई.सी. स्थिति लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 18,000
	घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत /2023—24/नस्ति क0. 315/198 दिनांक
/LOI details.	07 / 06 / 2023.
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र
की परिधि में संचालित	क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
/स्वीकृत अन्य खदानों का	अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल
विवरण	रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी.—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं

	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
जानकारी	क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	
की अनुमति	दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से
	ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल
	क्रमांक – 11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–
	18,060 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक
	द्वारा 18,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया
	गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 18,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.07 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम अजीतपुरा के शासकीय प्राथमिक भााला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,35,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	150

	से 1 से 6 पक्तियों में)	4—5 पंक्ति — कटंग बांस	100
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम— अजीतपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2700
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	600
√	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक	पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/	'स्थानीय पंजीकृत
	स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी र्भ	पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें	*STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।	
/	नीम व्यानीमा नीनानीमा पर्व	ं कार-कारात भीने एवं कान्य की ज्ञानकाता के अनुमार किया उ	मोगा गर्न जन्म

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख─रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख ─ रखाव किया जावेगा ।

 परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10115/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Khairghat River Sand Quarry in an area of 0.50 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 283), Village-Khairghat, Tehsil-Kurai, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

	परियोजना ी	विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
ſ	परियोजना	प्रस्तावक,	Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State

परियोजना / कम्पनी	Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second		
/ का नाम व पता	Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.)		
खसरा नं./क्षेत्रफल	283 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 0.50 Ha.		
स्थल	ग्राम KHAIRGHAT तसहील Kurai जिला Seoni (म.प्र.)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक		
	से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान बावनथड़ी नदी में स्थित है खदान मे से नदी की एक पतली		
का नाम	धारा निकल रही है, पानी डूबा होने के कारण 0.2 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन		
	क्षेत्र एवं 0.3 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख		
	सरफेस में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—6,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया ग्या		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—6,000 घनमीटर/वर्ष हेतु		
0 0 00	स्वीकृत है।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र		
में अन्य खदानें	क्रमांक 392 दिनांक 21/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र		
की अनापत्ति	क्रमांक 392 दिनांक 21/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव		
तहसीलदार की	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापत्ति	कमांक 392 दिनांक 21/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		
Griidikti	बसाहट नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम			
पंचायत की अनापत्ति	निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया		
नवावरा वर्ग ज ॥वाररा	गया ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट			
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–40 के सरल कमांक–5		
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–6,000 मैट्रिक टन		
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6,000		
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—6,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.12 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.49 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

l ·	राशि (रु. में)
सी.एस.आर मद से 20,000 रुपये की राशि रोगी कल्याण समिति खैरघाट के खाते में जमा की जावेगी ।	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1		1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	250
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	100
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम— खैरघाट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	50

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख─रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख ─ रखाव किया जावेगा ।
- पिरवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय पिरस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
 ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
 की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग 600

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10116/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Chimnakhari-Takhlakhurd River Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (5670 cum per year) (Khasra No. 732, 406), Village-Chimnakhari-Takhlakhurd, Tehsil-Barghat, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.)
खसरा नं./क्षेत्रफल	732 & 406 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 3.0ha
स्थल	Village Chimnakhari-Takhlakhurd, Tehsil Barghat, District Seoni, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिर्री नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के
का नाम	कारण 1.38 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.62 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—5670 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—5670 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 5670 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	कमांक 401 दिनांक 21/6/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र

की अनापत्ति	क्रमांक 401 दिनांक 21/6/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 401 दिनांक 21/6/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत चिमनाखारी जिला सिवनी के टहराव प्रस्ताव क्रमांक–8
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 12/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य से
	पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–40 के सरल क्रमांक–3
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–6,000 मैट्रिक टन
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6,000
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—5670 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.30 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 06.56 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम चिमनाखारी—ताखलाखुर्द के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर एवं 01 प्रिंटर का वितरण किया जायेगा ।	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान		मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	2000

		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	300
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	ग्राम—चिमनाखारी—ताखलाखुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
✓	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों	का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/	स्थानीय पंजीकृत

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- पिरवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय पिरिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
 ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
 की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10117/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Belpeth River Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (18000 cum per year) (Khasra No. 54), Village-Belpeth, Tehsil-Kurai, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्ताव	Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State

परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.)		
खसरा नं./क्षेत्रफल	54 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 3.500 ha.,		
स्थल	Village Belpeth, Tehsil Kurai, District Seoni, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक		
	से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पेंच नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के		
का नाम	कारण 1.5 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.0 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य		
	किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—18,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	ग्या है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—18,000 घनमीटर / वर्ष		
	हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 18,000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	,		
में अन्य खदानें	क्रमांक 394 दिनांक 21/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	,		
की अनापत्ति	कमांक 394 दिनांक 21/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव		
तहसीलदार की	विविधता एवं २५० मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 394 दिनांक 21 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		
जनापारत	बसाहट नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम			
पंचायत की अनापत्ति	15/08/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर पंचायत बेलपेट के नाम पर रेत		
1-11-1(1 -1/1 -1/1 11 11 (1	खदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट			
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–41 के सरल कमांक–7		
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—18,000 मैट्रिक टन		
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18,000		
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-18,000 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. खनन् क्षेत्र में कोई Critical Aquatic Habitat of Aquatic Fauna नहीं होने संबंधी जिला मत्स्य पालन विभाग का अभिमत खदान संचालन शुरू करने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्राप्त करेंगा। इस संबंध में यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होता है तो विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अनुकूल रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.20 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 07.28 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर. मद से 30,000 रुपये की राशि प्राथमिक वन विधालय अधोसंरचना विकास के लिए जमा की जावेगी ।	30,000

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	2600
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम— बेलपेठ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200

[🖊] वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

[✓] प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।

[✔] एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

[✓] टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण

क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग 4200

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10118/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Khandasa River Sand Quarry in an area of 2.40 ha. (23760 cum per year) (Khasra No. 513), Village-Khandasa, Tehsil-Kurai, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्ताव	वेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	513 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.40 ha.,
स्थल	Village Khandasa, Tehsil Kurai, District	Seoni, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 , से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत।	•
श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पंचधार नदी में स्थित	है, एंव एक अन्य नदी खदान के
का नाम	उत्तर–पूर्वी दिशा से आकर बावनथड़ी	नदी मे समाहित हो गयी है। नदी
	की 187 मी. पर एक रपटा स्थित है	। आंशिक भाग पानी डूबा होने के
	कारण 0.96 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख स	रफेस में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—23,760 गया है और अनुमोदित खनन् योजना हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 23,	अनुसार रेत- 23,760 घनमीटर / वर्ष

500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	क्रमांक 393 दिनांक 21/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 393 दिनांक 21/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 393 दिनांक 21/06/23 अनुसार लगभग 450 मीटर पर अंतर्राज्यी
	सीमा, लगभग 200 मीटर पर शमशान घाट एवं 35 मीटर पर बावनथड़ी
	नदी है तथा शेष स्थान 500 मीटर के बाहर है।
ग्राम सभा/ ग्राम	परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 05/7/23 के द्वारा प्रस्तुतीकरण के
पंचायत की अनापत्ति	दौरान ग्राम सभा की अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—41 के सरल क्रमांक—8
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—24,000 मैट्रिक टन
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 23,760
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—23,760 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.62 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 06.07 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर. मद से 40,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति खण्डासा के खाते में जमा की जावेगी ।	40,000

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	के लिए नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	स्थान			(संख्या में)

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1700
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	80
2	ग्राम— खण्डासा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
 ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
 की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12.Case No 10119/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Mandi-Kekdai River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 889, 01), Village-Mandi-Kekdai, Tehsil-Barghat, District-Seoni (MP).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
। गाउजात्त्वना क्रिक्टणा	। गाग्गात्वना गम्नातक टाग गम्नत टम्नातत्व
1 91(9191)1 199(9	

परियोजना प्रस्तावक,	Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State
परियोजना / कम्पनी	Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second
/ का नाम व पता	Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.)
,	·
खसरा नं./क्षेत्रफल	889 & 01 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 5.00 ha.,
स्थल	Village Mandi-Kekdai, Tehsil Barghat, District Seoni, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिर्री नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा होने
का नाम	के कारण 2.0 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 3.0 हे. क्षेत्रफल में खनन्
	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—15,000 घनमीटर/वर्ष
	हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 15,000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	क्रमांक ४०२ दिनांक २१ / ०६ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक 402 दिनांक 21/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव
	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक ४०२ दिनांक २१ / ०६ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 05/7/23 के द्वारा प्रस्तुतीकरण के
पंचायत की अनापत्ति	दौरान ग्राम सभा की अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–40 के सरल क्रमांक–1
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—15,000 मैट्रिक टन
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—15,000 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.40 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 08.48 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम मण्डी—केकडई के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर एवं 01 प्रिंटर का वितरण किया जायेगा ।	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	2000
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	800
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	500
2	ग्राम— मण्डी—केकडई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2500
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	6000

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10148/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (24768 cum per year) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Hills District Rhonal (MD) 162011 Prior Environment Clearance for Pubera		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	765, 2222 ग्राम — रूहेरा, तहसील — 4.60 हेक्टेयर शासकीय		
,	सेवढ़ा, जिला – दतिया (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान सिंध नदी में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है		
का नाम	दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में		
	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एंव उत्तरी भागों की		
	दूरी क्रमशः 850 एंव 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया		
	जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा । अतः		
	2.53 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.06 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य		
	किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 24,768 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 24,768 घनमीटर/वर्ष		
	हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत /2023-24/नस्ति क0. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
/LOI details.			
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र		

0 00 %	
मीटर की परिधि में	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
·	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.60
अन्य खदानों का	हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण	
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
डीएफओ की एनओसी	कमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
राजस्व जानकारी	कमांक २९ दिनांक ०२ / ०१ / २०२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत रूहेरा, जिला – दितया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक
पंचायत की अनुमति	14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल कमांक —
	06 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 24,768 घनमीटर
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24,768
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—24,768 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.87 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.18 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर मद से 1,85,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम रूहेरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,85,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5520 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

<u>नं</u> .	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	स्थान		(संख्या में)

			_
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	140
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	120
2	ग्राम— रूहेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4140
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	920
✓	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोध	ों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/	स्थानीय पंजीकृत
	स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।		
√	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।		
V	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।		
√	टीप : वक्षारोपण, बीजारोपण एवं रु	ख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनसार किया ज	ायेगा एवं खदान

- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- पिरवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय पिरस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 10149/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kutauli Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (27600 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kutauli Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (27600 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430746]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1/1, ग्राम — कुतौली, 4.60 हेक्टेयर शासकीय तहसील — भाण्डेर, जिला — दितया (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी(बी–1 / बी–2)	बी—2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान पहुंज नदी के मियण्डर में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के कारण 3.22 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.38 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 27,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत— 27,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत / 2023-24 / नस्ति क0. 315 / 198 दिनांक 07 / 06 / 2023.		
/LOI details.			
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कमांक 2459 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.60		
डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 2459 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2459 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कुतौली, जिला — दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक — 13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल — 27,600 घनमीटर		

उल्लेखित	है,	जिसके	विरूद्ध	परियोजना	प्रस्तावक	द्वारा	27,600
घनमीटर /	वर्ष प	पर्यावरणीय	स्वीकृति	हेतु आवेदन	किया गया	था।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—27,600 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.85 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.07 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर मद से 1,20,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कुतोली के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी एंव 87,000 शासकीय प्राथमिक शाला के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी	2,07,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5520 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	140
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	120
2	ग्राम– कुतोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4140
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री	920

	गार्ड के साथ)	
√	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स	थानीय पंजीकृत
	स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।	
√	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।	
√	टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जा क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नर्द क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भृ सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।	ो के जल ग्रहण
•	परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
	योग	5520

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10150/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Berach Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (44100 cum per year) (Khasra No. 1048), Village - Berachha, Tehsil-Bhander, District-Datia (M.P.).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

पारयाजना ।ववरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज				
परियोजना प्रस्तावक, Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP					
परियोजना /	Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera				
कम्पनी / संस्थान	Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Berach				
/	Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (44100 cum per year) (Khasra No. 1048),				
का नाम व पता	Village - Berachha, Tehsil-Bhander, District-Datia (M.P.). [430757].				
परियोजना का	1048, ग्राम — बेरछ, तहसील — भाण्डेर, 4.90 हेक्टेयर शासकीय				
खसरा नं./लीज	जिला — दतिया (म.प्र.),				
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry				
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पहुंज नदी के मियण्डर में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी				
का नाम	डूबा होने के कारण 1.96 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.94 हे. क्षेत्रफल				
	में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।				
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।				

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 44,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
0(4)4 41-1(1)	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत- 44100 घनमीटर/वर्ष हेतु
	,
4 :0	स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र कृ0. रेत / 2023—24 / नस्ति कृ0. 315 / 198 दिनांक 07 / 06 / 2023.
/LOI details.	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
मीटर की परिधि में	05 दिनांक 02 / 01 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें
संचालित /स्वीकृत	संचालित / स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 है0. होता है,
अन्य खदानों का	अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
में डीएफओ की	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
एनओसी .	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन
,	क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक
राजस्व जानकारी	05 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत बेरछ, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक
पंचायत की अनुमति	20 / 12 / 2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
की स्थिति	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक — 14 पर दर्ज
	है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 44,100 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 44,100 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।
L	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—44,100 मी³ प्रति वर्ष। पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.39 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.21 लाख 2. प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3. 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
-----------------------------------	----------------

सी.ई.आर मद से 2,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बेरछ के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। एंव 1,00,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी

3,35,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	150
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
2	ग्राम— बेरछ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4500
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	1000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 10151/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera

Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (18,000 M3/Year) (Khasra No. - 514), Vill.-Ajitpura, Teh-Bhander, District-Datia (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला – दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

	5पास्थरा थ।		
परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (18,000 M³/Year) (Khasra No 514), VillAjitpura, Teh-Bhander, District-Datia (MP) [430900]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	514, ग्राम —अजीतपुरा —2, 2.00 हेक्टेयर शासकीय तहसील — भाण्डेर, जिला — दितया (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी(बी–1 / बी–2)	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी का	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने		
नाम	के कारण 0.8 है. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.2 हे. क्षेत्रफल में खनन्		
	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 18,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत— 18,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क0. रेत / 2023-24 / नस्ति क0. 315 / 198 दिनांक 07 / 06 / 2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र		

राजस्व जानकारी	क्रमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत अजीतपुरा, जिला – दितया के ठहराव प्रस्ताव कमांक 04
पंचायत की अनुमति	दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम
	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक —
	12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 18,000 घनमीटर
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18,000
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—18,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.49 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.09 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम अजीतपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,35,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	100
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	50
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50

2	ग्राम— अजीतपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1800
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	400
✓	वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोध	ों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/	स्थानीय पंजीकृत
	स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।	
\checkmark	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पे	ड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें ${f S}'$	TAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।	
✓		ख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया ज	
	क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण		
	क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की		
	सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रर	ब्राव किया जावगा ।	
		ीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में केये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावे	

2400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

17. Case No 10152/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Saletara Sand Quarry in an area of 4.84 ha. (28,800 Cum per year) (Khasra No. 814), Village-Sletra, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दितया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining
परियोजना /	Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, <i>Prior Environment Clearance for</i>
कम्पनी / संस्थान	
,	Saletara Sand Quarry in an area of 4.84 ha. (28,800 Cum per year) (Khasra
का नाम व पता	No. 814), Village-Sletra, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430766]
परियोजना का खसरा	814, ग्राम – सलेतरा, तहसील – 4.84 हेक्टेयर । शासकीय
नं. / लीज क्षेत्रफल	भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),

परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी, Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के
का नाम	कारण 1.96 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.88 हे. क्षेत्रफल में खनन्
	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 28,800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत- 28,800 घनमीटर/वर्ष
	हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. रेत / 2023–24 / नस्ति क0. 315 / 198 दिनांक 07 / 06 / 2023.
/LOI details.	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र
मीटर की परिधि में	क्रमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
संचालित / स्वीकृत	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.84
अन्य खदानों का	हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण	
परियोजना के संबंध	,
में डीएफओ की	क्रमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
एनओसी	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया के एकल प्रमाण-पत्र
राजस्व जानकारी	क्रमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सलेतरा, जिला – दितया के ठहराव प्रस्ताव कृमांक 01
पंचायत की अनुमति	दिनांक 13/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम
	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल कमांक —
	19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 28,800 घनमीटर
	उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 28,800
	घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 28,800 मी³ प्रति वर्ष। पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.56 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.10 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,16,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सलेतरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। एंव 1,00,000 शासकीय प्राथमिक शाला के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5808 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	200
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	140
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
2	ग्राम— सलेतरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4356
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	968

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा ∕ उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- पिरवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय पिरस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग	5808
-----	------

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10139/2023 Shri Vaibhav Mahajan, Partner M/s Shreeji Stone Crusher & Suppliers, R/o 1, New Chameli ki Badi, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Barsalay Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-15000, M-Sand-5000 cum per year) (Khasra No. 223), Village-Barsalay, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव महाजन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	
परियोजना / कम्पनी	SUPPLIERS, 1, NEW CHAMELI KI BADI, KHARGONE (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	223 (सरकारी — नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 Hectare
स्थल	Village - Barsalay, Tehsil - Kasrawad, District-Khargone (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 9686
_	दिनांक 07 / 03 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2 Stone and M-Sand Quarry
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन—20,000 घनमीटर / वर्ष
	(पत्थर—15,000 घनमीटर⁄वर्ष एवं एम—सेंड—5,000 घनमीटर⁄वर्ष) हेतु
	आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—15,000
	घनमीटर / वर्ष एवं एम—सेंड—5,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	क्रमांक ४९९ दिनांक २७ / ०५ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 499 दिनांक 27/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 499 दिनांक 27 / 05 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट,तालाब / बांध / र्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का

	/ 2: 4 .
	रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत बरसलाय जिला खरगौन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	खदान क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जो कि काटे नही जावेंगे।
स्थिति	
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा— कच्चा रोड— 252 मी.
वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— कच्चा रोड— 20 मी. (सेट बेक —30 मी. प्रस्तावित है)
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन ने पत्र क्रमांक 509
की स्थिति	दिनांक 29/05/23 द्वारा उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे
	रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—15,000 घनमीटर / वर्ष एवं एम—सेंड—5,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.38 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 3.33 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल में दो कम्प्युटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेवल के साथ में और 2 लोहे की अलमारी	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	
1	बैरियर जोन	सिस्सू, धावडा, लेंडिया, आवंला, चिरोल, नीम,	1300	
		महुआ, जंगल जलेबी , करंज, खमेर, एवं अन्य		
		स्थानीय प्रजातियाँ		
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य	100	
		स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ		
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा,	1000	
		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।		
गारत	गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			2400	

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 10140/2023 Shri Dhruv Lodhi, Lessee, R/o Village and Post-Bari, Tehsil-Raipura, Thana Simariya Panna, District-Panna (MP)-488442, Prior Environment Clearance for Aamkhua Stone Mine in an area of 1.60 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 120/3), Village- Aamkhuawa, Tehsil-Buxwaha, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ध्रुव लोधी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज				
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri DHRUV LODHI, LEESSEE, VILLAGE AND POST BARI, TEHSIL RAIPURA, THANA SIMARIYA PANNA				
का नाम व पता					
खसरा नं./ क्षेत्रफल	120/3 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 1.60 Hectare				
(सरकारी / निजी)	परियोजना प्रस्तावक का				
	भू—स्वामित्व)				
स्थल	Village - Aamkhua, Tehsil - Buxwaha, District-Chhatarpur (M.P.)				
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म,				

	मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र कमांक 1240 दिनांक 25/01/23 के द्वारा
	स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Stone Mine
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
ब्रेकर	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष
	हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र
में अन्य खदानें	कमांक 1393 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खँनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 1393 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अनापत्ति	कमांक 1393 दिनांक 23 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	5
पंचायत की अनापत्ति	16/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
\	आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	·
स्थिति	बैरियर जोन में है जो कि नहीं काटे जावेगें, 03 पेड़ काटे जावेगे जिसके
	एवज् मे 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण—पश्चिम दिशा— एच.टी. लाईन 400 मी.
वर्तमान स्थिति	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
की स्थिति	दिनांक 04/07/23 द्वारा सूचित् किया है कि उक्त खदान को अद्यतन डी.
	एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्न–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.09 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल सुनवाहा में दो अलमारी, शौचालय का निर्माण एवं पानी के नलो की मरम्मत	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए पौधों की प्रजातियाँ नियत स्थान				
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, संतरा, कैथ, ऑवला, आम, सीताफल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1230			
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200			
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000			
गारत	गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।					
कुल			2430			

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 9954/2023 Shri Vishal Lele, Sr. RSM, M/s Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, KAPL House, Arka the Business Centre, Plot No. 37, Site No.34/4, NTTF Main Road, Peenya Industrial Area, 2nd Phase, District-Bengaluru (KA)- 560058 Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics &

Pharmaceuticals Limited in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products - 1000 MT/Year) at Vikram Udyogpuri, DMIC Village-Narwar, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) Capacity - 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) - 1000 MT/Year. Category -5 (f).

This is case of Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited to be established in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products 1000 MT/Year) at Vikram Udyogpuri, DMIC Village-Narwar, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP).

The case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve Indore, and PP Shri Vishal Lele, Sr. RSM, M/s Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, wherein PP submitted following salient features of the project:

- Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (KAPL), is a Government of India Enterprise. It is a Joint Sector Company of Government of India with 59.17% of the shareholding and 40.83% from the Government of Karnataka through Karnataka State Industrial Infrastructure Development Corporation (KSIIDC). From a modest beginning in 1984, KAPL has grown exponentially in the areas of manufacturing and marketing of various life-saving and essential drugs. KAPL is a WHO-GMP certified organization and with ISO accreditation.
- KAPL has been recognized for its total commitment to quality and services to cater to domestic and international markets. There are 02 manufacturing Plants operating in India.
- KAPL want to establish their *Bulk drugs and intermediates plant* in Vikram Udyogpuri, DMIC, Ujjain (MP), for this KAPL acquired land of 50 Acres from MPIDC, Ujjain. The total quantity of manufacturing product will be 1000 MT/Year.
- The project falls under 5 (f) category of the EIA Notification & its amendments issued by the Ministry of Environment & Forest vide S.O.1533 (E), dated September 2006, & its amendments.
- The project is in notified industrial area so no public hearing is required as industry falls in a government notified industrial area (DMIC-Vikram Udyogpuri, Ujjain (M.P.)
- The total land area of the project site is 202343 m² at Plot No. 103& 104 and 110 to 116 at DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP).
- Total cost of the project will be 275 Cr.
- We will develop **41.24%** green Area.
- The total land area of the project site is 202343 m². Plot is allotted in DMIC-Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP).
- Fresh Water Requirement will be 2000 KLD & Supplied By DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain

DETAILS OF PRODUCT

S.No. Products		Total quantity /Annum	
1	7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA)	1000 MT/Year	

- ✓ 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) is an important intermediate compound in the production of cephalosporin antibiotics. It is derived from cephalosporin-C, which is a natural product obtained from the fermentation of certain species of fungi, such as Cephalosporium acremonium.
- ✓ It is widely used in in the treatment of various bacterial infections.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 653^{th} SEAC dated 15/06/2023 wherein ToR was recommended by the committee. The PP submitted the EIA report as per the TOR which is forwarded on-line by SEIAA and the same was scheduled in the 669^{th} SEAC dated 10/08/2023 SEAC agenda.

The PP submitted chronology of the case as follows:

S. No	Progress	Date
1.	Acceptance of Form-I along with Proposed ToR to the SEIAA	12.06.2023
2.	Presentation of ToR	15.06.2023
3.	ToR issued	13.07.2023
4.	Final EIA Report submission to SEIAA	02.08.2023
5.	EIA Presentation to SEAC	10.08.2023

The manufacturing process for the product 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) involves chemical synthesis utilizing mainly organic chemicals as raw materials in batch process. Active pharma ingredients which have unique physical and pharmacological properties are manufactured in batch process. Typically, a series of chemical reactions are performed in multi-purpose reactors and the products are isolated by extraction, filtration. The finished products are usually dried, and milled.

PP further submitted that

- Karnataka Antibiotics& Pharmaceuticals Limited (KAPL) is a government of India Enterprise.
- KAPL proposes the Greenfield Project at Plot No.103&104 and 110 to 116 at DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain (MP) for manufacturing of Bulk drugs and Intermediate {7-Aminocephalosporanic acid(7-ACA)} with Capacity of 1000 MT/year.
- KAPL has been recognized for its total commitment to quality and services to cater to domestic and international markets. KAPL has vide experience of manufacturing of pharmaceutical products, Currently KAPL has 2 Manufacturing plants operating in India.
- The estimated cost of the proposed project is around Rs 275 crores.
- Total of 83446.2532 m² area will be develope as greenbelt being it approx. 41.24% of total plot area.
- Only 3 Trees (Neem) are existing in the premises. In accordance with our environmental commitment, no tree cutting shall be conducted throughout the entire duration of the project, ensuring the preservation of all existing trees on the site.
- Carbon sequestration refers to the process of capturing and storing carbon dioxide (CO2) from the atmosphere in order to mitigate climate change. KAPL shall plant 20400 trees to mitigate carbon emission Total CO2 **Sequestrated by trees shall be 33550746.4.**

After deliberations and presentation, submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of <u>Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products - 1000 MT/Year) at Vikram Udyogpuri, DMIC Village-</u>

Narwar, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP) Capacity - 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) - 1000 MT/Year. Category -5 (f). Subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

- 1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
- 2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- 3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these systems from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- 2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
- 3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

Sr.	Boiler/	Capacity& Fuel	Stack Height	APCM
	D		(Meter	
	\mathbf{G})	

	S			
	e			
	t			
	s			
1.		1. 12TPH(dual fuel Oil &	30	Adequate Stack
		Gas)		Height
	Boiler	2. 12 TPH (dual fuel Oil &	30	Adequate Stack
		Gas) {standby}		Height
		3. 12TPH(BiomassBriquettes)	30	Bag Filter
2.	DG	4x2500 KVA	30	Adequate Stack
				Height

- 4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
- 5. The DG sets (4x2500 kVA each)shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- 6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- 7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- 2. "Zero Liquid Discharge" shall be ensured using ETP (2000-KLD), RO(2115-KLD), MEE (330-KLD) followed by ATFD and no waste/treated water shall be discharged outside the premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.

- 4. Total fresh water requirement shall not exceed 2000 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, then CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
- 5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- 6. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
- 7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

- 1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (4x2500 kVA each)for controlling the noise pollution.
- 2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- 3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. The total power requirements for project will be 17MVA.
- 3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

(F) Waste management

- 1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- 2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016as follows:

Catego	Description	Quantity per	Mode of Disposal
r		Year	

y		(MT)	
5.1	Used Spent Oil	5	Sale to Authorized recycler
28.3	Spent Carbon	200	Disposal – CTSDF, Co- Processing, Pre- Processing
28.4	Off specification products	50	Disposal – CTSDF
28.6	Spent solvents	24	Sent to Distillation & Reuse or Sale to Authorized Recycler
33.1	Empty barrels/containers/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes	50	Sale to Authorized recycler
33.2	Contaminated cotton rags or other cleaning materials	30	Disposal – CTSDF
35. 3	Chemical Sludge form Waste water treatment	800	Disposal – CTSDF
36.2	Centrifuge Bags / Filter Bags HEPA Filters	15	Disposal – CTSDF

- 3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
- 4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
- 5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
- 6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
- 7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
- 8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
- 9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.

- 10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
- 12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
- 13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

- 1. Total of 83446.2532 m² area will be develope as green belt being it approx. 41.24% of total plot area.
- 2. KAPL shall plant 20400 trees to mitigate carbon emission Total CO2 **Sequestrated** by trees shall be 33550746.4.
- 3. The details of trees to be planted are as follows:

Sr.	Trees Common	Scientific	No of	Average CO2[1]	Total CO2
	Name	Name	Tre ss	Sequestrated Per Tree	Sequestrated Per Species
			55	(KG/Year)	(KG/Year)
	Azadirachta Indica	Neem	1500	145.45	218175
1	7 izadiracila ilidica	TTOOM	1300	143.43	210173
2	Ficus Venjamin	Banyan	800	233.69	186952
	Delonix regia	Gulmohar	800	912	729600
3	Delonix legia	Guilliollar	000	712	727000
4	Cassia fistula	Amaltas	1000	629.79	629790
	Mangifera indica	Aam	900	25403.86	22863474
5	iviangifora maioa	1 14111	700	25 105.00	22003 17 1
6	Sagon	Tectona grandis	500	8659.49	4329745
7	Saraca asoca	Ashoka	1000	598.34	598340
		Sita Ashoka	1000		0
8		ona Asiioka	1000		
9	Syzygium cumini	Jamun	500	934.75	467375

	var. cumini				
10	Magnolia champaca	Gobar Champa	1000	1323.61	1323610
11	Pongamia pinnata	Karanj	900	95.236	85712.4
12	Ficus religiosa	Peepal	200	1645.335	329067
13	Dalbergia sissoo	Shisham	400	360.54	144216
14	Tamarindus indica	Imli	600	2228.34	1337004
15	Coconut Palm		300	1025.62	307686
16	Alstonia scholaris	Satparni Tree	800		
17	Moringa oleifera	Drum Stick	500	-	-
18	Grevillea robusta	SILVER OAK	700	-	-
19	Rosa	Rose	1000	-	-
20	Phyllanthus emblica	Amla	300	-	-
21	Bougainvillea		400	-	-
22	Cascabela thevetia	PILA KNER	500	-	-
23	Lawsonia inermis	Mehandi	600	-	-
24	Neolamarckia cadamba	Kadam	500	-	-
25	Carissa carandas	Karonda	800	-	-
26	Bauhinia variegata	Kachnar	600	-	-
27	Lemon Grafted		500	-	-
28	Putranjiva roxburghii	Putranjiva	700	-	-
29	Artocarpus heterophyllus	Jack Fruit	500	-	-

30	Psidium guajava	Guava	600	-	-
	Total		20400		33550746.4

- 4. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
- 5. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. 41.24% Plantation shall be developed by PP.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

8.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

- 1. The proposed EMP cost is Rs. 4101 lakhs and 35.5 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 1.5 lakhs and Rs. 03 lakhs is proposed for green belt development.
- 2. Under CER activity capital cost is Rs. 25 lakhs is proposed for Habitat Development near Kripra Vihar Roopani (Eco Park) Ujjain.
- 3. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- 4. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- 5. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- 6. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- 8. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

- 1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

संशोधन-पत्र

Case No 10025/2023 Shri Pavan Patidar S/o Shri Ram Chandra Ji Patidar, R/o Village-Magrana, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP)-458556 Prior Environment Clearance for Dodiyameena Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (30050 cum per year) (Khasra No. 566), Village-Doriyamina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (M.P.).

परियोजना प्रस्तावक ने समिति को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 10/08/2023 द्वारा सूचित किया है कि उनके प्रकरण में एसईएसी की 663वीं बैठक दिनांक 27/07/2023 को टॉर हेतु अनुशंसा सिंहत एसईआईएए को प्रेषित किया गया है, जिमसें खनन् योजना अनुसार पत्थर—30,0047.55 घनमीटर /वर्ष टंकित हो गया है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में पत्थर—30,050 घनमीटर/वर्ष है, अतः तद्नुसार सुधार करने का अनुरोध किया गया है ।

समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है। अतः समिति अपनी 663वीं बैठक दिनांक 27/07/2023 को टॉन हेतु अनुशंसित खनन् योजना अनुसार पत्थर—30,0047.55 घनमीटर /वर्ष के स्थान पर पत्थर—30,050 घनमीटर/वर्ष पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष अन्य शर्ते/अनुशंसा पूर्ववत यथावत रहेंगी।

(चंद्र मोहन ठाकुर)

(डॉ. पी.सी. दुबे)

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

- fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.

- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil)

- No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1:- रथेल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

- नोट 4:- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल / ऑगनवाडी / पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग / ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खसं, घासं, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेत् बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	01 11.6 फीटर पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
3	पाला त पापपा, ठ०पा पापत रहे पात १५ स्थानाय झाला प्रणात ।	पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर